



कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल ।

ई-निविदा सूचना

कैलाश मानसरोवर यात्रा/आदि कैलाश यात्रा 2018 हेतु यात्रियों का सामान व निगम के खाद्य सामग्री एवं उपयोगी उपकरणों के निर्धारित शिविरो तक ढुलान के कार्य हेतु आमंत्रित ई निविदा को दिनांक 28.4.2018 को समिति द्वारा अपरान्ह 1 बजे आन-लाईन खोला गया । निविदित दर अधिक होने के कारण उक्त निविदा निरस्त की गयी है। उक्त ढुलान कार्य हेतु पुनः दिनांक 17.5.2018 अपरान्ह 12.00 बजे तक उत्तराखण्ड ई-निविदा पोर्टल/वेबसाइड uktenders.gov.in के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन अपरान्ह 1.00 बजे ऑनलाईन खोली जायेगी । निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क रू० 1,000.00 + जी०एस०टी० निगम मुख्यालय, पर्यटक आवास गृह, धारचूला अथवा एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से निगम खाते मे भी जमा किया जा सकता है । निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते निगम की वेबसाइड www.kmvn.gov.in तथा उत्तराखण्ड ई-टेंडरिंग वेबसाइड uktenders.gov.in में देखी जा सकती है ।

प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि को किसी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

प्रबन्ध निदेशक

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल, उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान कैलाश – मानसरोवर यात्रा/आदि कैलाश यात्रा 2018 के यात्रियों का सामान तथा निगम की खाद्य सामग्री एवं उपयोगी उपकरणों के निर्धारित शिविरों तक ढुलान हेतु निविदा ।

आवेदन फार्म का प्रारूप एवं नियम एवं शर्तः-

फार्म का विक्रय मूल्य-रु० 1000+जी०एस०टी० अतिरिक्त

टैण्डर प्रकाशन की तिथि-09.05.2018 समय-सांय-6:00 बजे

टैण्डर फार्म डाउनलोड करने की प्रारम्भिक तिथि-09.05.2018 सांय-6:55 बजे

आन-लाईन बिड अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि-10.5.2018 प्रातः-10:00 बजे

आन-लाईन बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि-17.05.2018 अपराहन-12:00 बजे

आन-लाईन टैण्डर खोले जाने की तिथि-17.05.2018 अपराहन-1:00 बजे

नियम एवं शर्तः-

- 1- निविदादाता द्वारा ई-टैण्डर फार्म को uktenders.gov.in से डाउनलोड करने के पश्चात निविदा के सभी वांछित प्रपत्रों सहित ऑन-लाईन जमा करना होगा । ई-निविदा के माध्यम से निविदा आवेदन पर हुये समस्त व्यय निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे। ई टेन्डरिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रेषित निविदा मान्य नहीं होगा ।
- 2- निविदा प्रपत्र की धनराशि रु० 1000+जी०एस०टी० अतिरिक्त निगम के मुख्यालय, कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, कारपाकिंग,सूखाताल अथवा पर्यटक आवास गृह, धारचूला में नकद अथवा एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से निगम खाते में जमा की जानी होगी। निविदा शुल्क ऑनलाईन भुगतान हेतु निगम के खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

Name of the Bank – Syndicate Bank

A/c No. - 87423070000122

A/c Type – Current Account

IFS Code – SYNB0008742

Beneficiary Name – Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd.

Branch – Nainital Branch

निविदा फार्म धनराशि की नकद जमा रसीद या एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से निगम खाते में जमा की रसीद तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा । निविदा प्रपत्र का मूल्य किसी भी दशा में वापस नहीं होगा ।

- 3- धरोहर राशि रु० 50,000.00 (पचास हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफ०डी०आर० जो प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक हो, निविदा के तकनीकी भाग के साथ ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड किया

जाना आवश्यक होगा । धरोहर राशि एन0ई0एफ0टी के माध्यम से ऑनलाइन निगम के खाते में भी जमा की जा सकती है, जिस हेतु निगम के खाते का विवरण निम्न प्रकार है –

Name of the Bank – Syndicate Bank

A/c No. - 87423070000122

A/c Type – Current Account

IFS Code – SYN0008742

Beneficiary Name – Kumaon Mandal Vikas Nigam ltd.

Branch – Nainital Branch

धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 धनराशि या एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से खाते में जमा की रसीद तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा ।

- 4- निविदादाता को हैसियत प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति जो कि जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा जारी रू0 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का चल/अचल सम्पत्ति का देय हो । तकनीकी निविदा के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। यह प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से छः माह से अधिक अवधि से पुराना न हो ।
- 5- निविदादाता को चरित्र प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति (जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र (जो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से छः माह से अधिक पुराना न हो) की प्रति तकनीकी निविदा के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
- 6- स्थाई निवास प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति (निविदादाता को स्थाई प्रमाण पत्र जो कि जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हो । तकनीकी निविदा के साथ स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक होगा)।
- 7- निविदादाता को आय कर प्रमाण पत्र (PAN CARD) की, स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा ।
- 8- निविदादाता को जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा ।
- 9- निविदादाता को कम से कम 25 खच्चरों का स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो, संलग्न कर तकनीकी निविदा के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना होगा ।
- 10- यदि किसी यात्री पर्यटक अथवा निगम प्रतिनिधि/कर्मचारी द्वारा ई-टेंडरिंग माध्यम से चयनित सफल निविदादाता की लिखित शिकायत प्राप्त होती है तथा जाँचोपरान्त सही पायी जाती है, उस दशा में निविदादाता के साथ सम्पादित अनुबन्ध बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त करने तथा उसकी धरोहर की राशि जब्त करने का अधिकारी निगम के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में निविदादाता निगम से कोई क्षतिपूर्ति पाने या निगम के विरुद्ध अन्य कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होगा । इस दशा में ढुलान की व्यवस्था निगम के माध्यम से संचालित होगी ।
- 11- निविदादाता को प्रथम भाग/तकनीकी निविदा की सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होगी । प्रथम भाग (तकनीकी निविदा) में मांगी गई औपचारिकताएँ पूर्ण न होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ऐसी स्थिति में निविदादाता का द्वितीय भाग (वित्तीय निविदा)(BOQ) नही खोली जायेगी।

- 12- जिन निविदादाता की आन-लाईन प्रथम भाग/तकनीकी निविदा स्वीकार कर ली जायेगी उन निविदादाता का द्वितीय भाग/वित्तीय निविदा (BOQ) ई-टैण्डरिंग हेतु गठित समिति द्वारा आन-लाईन खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश होने पर अगली कार्य तिथि मानी जायेगी।
- 13- निविदाये खोले जाने पर यदि एक से अधिक निविदाये समान दरों पर प्राप्त होती है तो लाटरी पद्धति द्वारा ठेकेदार का चयन किया जायेगा। लाटरी खोलने के उपरान्त प्रथम एवं द्वितीय दो व्यक्तियों के नाम परिणाम तालिका में अंकित किये जायेगे। यदि किन्ही कारणों से प्रथम न्यूनतमदाता व्यक्ति नियत समय में निगम द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं कर पायेगा तो उसकी धरोहर धनराशि निगम द्वारा जब्त करते हुये उस स्थित में निगम द्वितीय निविदादाता को औपचारिकताये पूर्ण करने का अवसर प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।
- 14- जिस व्यक्ति के नाम कैलाश-मानसरोवर/आदि कैलाश के टेण्डर स्वीकृत होगा उसे रू0 5.00 लाख की धनराशि की एफ0डी0आर0 जो प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक जमानत के रूप में 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी।
- 15- टेण्डर स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को रू0 100+10/- (एक सौ दस रूपया) के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा। निविदा की दरों की वैधता पाँच माह जून, 2018 से अक्टूबर, 2018 तक के लिए होगी। निविदा स्वीकृत होने की दशा में अनुबन्ध में हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रतिभूतियों के रूप में (Deposit) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। निगम से तीन दिन के अन्दर अनुबन्ध करना होगा।
- 16- न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर कार्य न करने की दशा में / अनुबन्ध में हस्ताक्षर न करने की दशा में उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 17- निविदादाता को निगम की आवश्यकतानुसार कुलियों व खच्चरों का प्रबन्ध यात्रियों व निगम के सामान ढुलान हेतु करना होगा।
- 18- निविदादाता को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होगा।
- 19- निविदादाता द्वारा ढुलान की जा रही सामग्री में किसी भी किस्म की टूट-फूट एवं सामग्री की कमी अथवा खोने के लिये निविदादाता पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति में प्रतिपूर्ति निविदादाता से की जायेगी। इस सम्बन्ध में निगम के कैम्प प्रबन्धक एवं यात्रियों का प्रमाण-पत्र अन्तिम माना जायेगा।
- 20- मार्ग में मजदूरों के लिये आवास आदि की व्यवस्था का वैधानिक उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा। निविदादाता द्वारा ढुलाई में लगे मजदूरों की आवास/भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 21- यदि जौलजीवी से लिपुलेख पास/जौलिंगकांग के बीच मार्ग अवरूद्ध होता है तो ऐसी दशा में ठेकेदार द्वारा सामान ढुलान निविदानुसार स्वीकृत दरों पर ही करना होगा।
- 22- निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विभिन्न कैम्पों में सामग्री यथासमय पर पहुँचायेंगे। यात्रियों का सामान विभिन्न कैम्पों में यात्रियों के पहुँचने के साथ ही पहुँचना अनिवार्य होगा।
- 23- सामान ढुलान की दर प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर की दर से होगी, छोटी गाड़ी के माध्यम से सामान ढुलान की दर प्रति कुन्टल प्रति किमी0 की दर से होगी।
- 24- कैलाश-मानसरोवर यात्रा एवं आदि कैलाश यात्रा माह जून, 2018 से प्रारम्भ होगी।
- 25- कैलाश-मानसरोवर यात्रा में 18 दलों में अनुमानित लगभग 1100 यात्री आदि कैलाश यात्रा में लगभग 400 यात्रियों की जाने की सम्भावना है। यात्रियों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी भी हो सकती है।

- 26- यात्रा किसी भी माह में किन्हीं भी प्राकृतिक या अन्य कारणों से बन्द भी हो सकती है । इसके लिए ठेकेदार का किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम निगम की ओर नहीं होगा ।
- 27- यात्रियों के सामान का बीमा, दुलान हेतु ठेकेदार द्वारा भारतीय सीमा के अन्दर एक माह के लिये, मान्य बीमा कम्पनी से कराया जाना होगा । यदि बीमा की राशि का भुगतान निगम द्वारा किया जाता है तो यह धनराशि ठेकेदार के बिल से निगम द्वारा काट ली जायेगी ।
- 28- चयनित निविदादाता को अनुबन्ध सम्पादित करते समय उक्त प्रमाण-पत्रों (चरित्र प्रमाण-पत्र/हैसियत व अन्य) मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे । निर्धारित समय पर उक्त प्रपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा निरस्त करने का का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल को होगा ।
- 29- कैलाश-मानसरोवर यात्रा की समस्त सामग्री निविदादाता को धारचूला में तोल कर दी जायेगी तथा निविदादाता के माध्यम से सामग्री छोटे वाहनों द्वारा मांगती तक भेजी जायेगी तथा लौटते समय सामग्री माँगती से धारचूला तक छोटे वाहनों के माध्यम से भेजा जायेगा । आदि कैलाश यात्रियों का सामान धारचूला से माँगती तक तथा मांगती से धारचूला छोटे वाहनों के माध्यम से भेजा जायेगा। बस मार्ग अवरूद्ध होने के दशा में यदि सामान ठेकेदार द्वारा पोर्टर्स के माध्यम से ले जाया जाता है तो उसका भुगतान निविदानुसार निविदादाता द्वारा दी गयी दुलान दरों पर ही होगा । **धारचूला से मांगती तक तथा वापसी मांगती से धारचूला तक कैलाश मानसरोवर/आदि कैलाश यात्रा के यात्रियों एवं निगम सामग्री का छोटे वाहनों के माध्यम से दुलान दर प्रति कुन्टल प्रति किलोमीटर के हिसाब से निविदादाता को वित्तीय भाग में अंकित करनी होगी ।**
- 30- ठेकेदार का पूर्ण दायित्व होगा कि वे यात्रियों/निगम का सामान निश्चित समय पर यात्रा शैड्यूल के अनुसार विभिन्न शिविरों में होते हुये लिपुपास/जौलिंगकॉंग तक पहुँचायें तथा मार्ग में सामान या खाद्य सामग्री के खोने या क्षति होने पर उसकी वसूली ठेकेदार से सामग्री के क्रय मूल्य से दुगनी दर से की जायेगी इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार को दी गयी सामग्री आदि में कमी पायी जाती है तो उसकी भी वसूली ठेकेदार से उक्तानुसार ही की जायेगी ।
- 31- ठेकेदार का अन्तिम भुगतान तभी किया जायेगा जब यात्रा समाप्ति पर निगम के विभिन्न शिविरों की सामग्री प्रभारियों से प्राप्त कर पर्यटक आवास गृह, धारचूला तक पहुँचाई जायेगी तथा पहुँचाई गयी सामग्री की रसीद प्रस्तुत करनी होगी । अन्तिम सत्यापन के पश्चात ठेकेदार दुलान प्रयोजन हेतु लिखित सूचना निगम को उपलब्ध करायेगा ।
- 32- ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, जिससे निगम को आर्थिक क्षति पहुँचती है अथवा कार्य सन्तोषजनक नहीं रहता है तो ऐसा होने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा कार्य सन्तोषजनक होने पर जमानत की राशि यात्रा समाप्ति के तीन माह बाद वापस कर दी जायेगी। इस अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन होने पर ठेकेदार द्वारा निगम को जो भी क्षति पहुँचाई जायेगी उसके लिये ठेकेदार निगम को क्षतिपूर्ति अदा करने के लिये उत्तरदायी होगा ।
- 33- यात्रियों का सामान एवं कैम्पों का सामान ठेकेदार को नियत समय पर नियत स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी ।
- 34- यदि भारत तिब्बत व्यापार या अन्य प्रयोजन हेतु सामग्री भेजी जाती है तो इस हेतु भेजी जाने वाली सामग्री के दुलान की दरें भी उपरोक्तानुसार ही होगी ।

- 35- निविदादाता द्वारा चयनित तीन सुपरवाइजर भी बरसात में रास्ते में अलग-अलग स्थानों पर नियुक्त रहेंगे जो यात्रियों की सामग्री समय पर ढुलान करा सके । इनका व्यय भी निविदादाता को स्वयं करना होगा । खच्चरों का रास्ता बन्द होने पर ठेकेदार द्वारा सामान कुलियों द्वारा इन्हीं दी गई दरों पर ढुलान करना होगा। जिसका प्रमाण-पत्र यात्राधिकारी से प्राप्त होने के पश्चात भुगतान किया जायेगा ।
- 36- ठेकेदार की अनुपस्थिति में ठेकेदार के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सामग्री की सुपुर्दगी कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के सम्बन्धित अधिकारी को जायेगी ।
- 37- ठेकेदार अपने अधीन/सम्बद्ध व्यक्तियों/श्रमिकों आदि जिन्हे अभी तक कर्मचारी भविष्य योजना मे सम्मिलित किये जाने का कार्य सम्बन्धित ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता द्वारा नहीं किया गया है तो सम्बन्धित संस्था/ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को उनके अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (E.P.F) काटना जरूरी है ।
- 38- निविदादाता यह घोषणा पत्र संलग्न करेगा कि यदि उनकी निविदा निगम द्वारा स्वीकृत की जाती है तो उस दशा में वे पोनी, पोर्टर के रजिस्ट्रेशन एवं यात्रियों को पोनी, पोर्टर के आवंटन के कार्य में किसी भी दशा में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग नहीं करेगा । यदि किसी यात्री/निगम कर्मचारी/स्थानीय प्रशासन अथवा अन्य के माध्यम से निविदाकार के प्रतिभाग /हस्तक्षेप की सूचना निगम को प्राप्त होती है तथा जॉचोपरान्त सही पायी जाती है तो उस दशा में निगम के साथ सम्पादित अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा, जिस पर भविष्य में निविदादाता द्वारा निगम पर किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।
- 39- निविदादाता द्वारा ऑनलाइन बिड खोले जाने से पूर्व स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से ई-निविदा के तकनीकी भाग के साथ ऑनलाइन अपलोड किये गये सभी प्रपत्रों की स्व-प्रमाणित सत्यापित प्रति (SCHEDULE-A) क्रम सं0 1 से 10 तक निगम मुख्यालय कारपार्किंग सूखाताल, नैनीताल में सीलबन्द लिफाफे में उपलब्ध करानी होगी।
- 40- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम इस हेतु आर्बिटेटर के रूप में कार्य करेगे । उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- 41- किसी भी प्रकार के विवाद होने पर आर्बिट्रेशन में मामला नहीं निपटने पर जाने पर उसका न्यायिक क्षेत्र नैनीताल होगा ।
- 42- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तों का उल्लेख अनुबन्ध मे उल्लिखित किया जायेगा ।

कैम्प निम्न प्रकार निर्धारित होंगे जिनमें परिवर्तन भी हो सकता है यात्रा कार्यक्रम से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी निगम वेबसाईट www.kmvn.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रस्तावित दुलान मार्ग

कहाँ से	कहाँ तक	अनुमानित दूरी
मांगती	बूंदी	22 कि०मी०
बूंदी	गुंजी	17 कि०मी०
गुंजी	कालापानी	9 कि०मी०
कालापानी	नाभीढांग	9 कि०मी०
नाभीढांग	लिपुलेख पास	8 कि०मी०
लिपुलेख पास	गुंजी	26 कि०मी०
गुंजी	बूंदी	17 कि०मी०
बूंदी	मांगती	22 कि०मी०

आदि कैलाश यात्रा चौदास-व्यास घाटी से प्रस्तावित दुलान मार्ग

कहाँ से	कहाँ तक	अनुमानित दूरी
मांगती	बूंदी	22 कि०मी०
बूंदी	गुंजी	17 कि०मी०
गुंजी	कुटी	20 कि०मी०
कुटी	जौलिंगकांग	14 कि०मी०
जौलिंगकांग	कुटी	14 कि०मी०
कुटी	नाबी गाँव	16 कि०मी०
नाबी गाँव	कालापानी	13 कि०मी०
कालापानी	नाभीढांग	09 कि०मी०
नाभीढांग	गुंजी	18 कि०मी०
गुंजी	बूंदी	17 कि०मी०
बूंदी	मांगती	22 कि०मी०

नोट- यदि यात्रा मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में बदला जाता है, उस दशा में आदि कैलाश यात्रा का संचालन दारमा घाटी (धारचूला-दर-बालिंग-तेदांग-बेदांग-जौलिंगकांग-कुटी-नाबीगाँव-कालापानी-नाभीढांग-गुंजी-कुटी-जौलिंगकांग-बेदांग-तेदांग-बालिंग-दर-धारचूला) से किया जायेगा । निविदादाता उक्त मार्ग से आदि कैलाश यात्रियों एवं निगम की सामग्री की दुलान दरें प्रति कि०ग्राम प्रति किलोमीटर अनुसार वित्तीय भाग (BOQ) में अंकित करनी होंगी । निविदादाता को पी०डब्लू०डी० द्वारा सत्यापित दूरी के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिकिलोमीटर, प्रति कि०ग्राम के आधार पर भुगतान किया जायेगा । दुलान का कार्य उक्त मार्ग में अन्तिम मोटर मार्ग स्थल से शुरू किया जायेगा । तदनुसार ही निविदादाता दरें प्रेषित करें ।

SCHEDULE-A
प्रथम भाग—तकनीकी निविदा

- 1-निविदादाता का नाम श्री/श्रीमती/कु०
- 2-निविदादाता के पिता /पति का नाम श्री
- 3-निवास का पता
- 4-पत्राचार का पता.
- 5 निविदादाता का सम्पर्क नम्बर मोबाईल नम्बर
- 6-पैन नम्बर/टिन नम्बर जी०एस०टी०नम्बर
- 7-धरोहर राशि हेतु एफ०डी०आर०/ड्राफ्ट सं० धनराशि. दिनांक
जारी करने वाले बैंक का नाम

निविदादाता को निम्नांकित प्रपत्र की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑन-लाईन अपलोड करनी अनिवार्य होगी:-

- 1- निविदा फार्म क्रय अथवा ऑनलाइन भुगतान की रसीद ।
- 2- धरोहर राशि के ड्राफ्ट, एफ०डी०आर० अथवा ऑनलाइन भुगतान की प्रति ।
- 3- हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 4- चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 5- स्थाई निवास प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 6- पैन कार्ड की प्रति ।
- 7- जी०एस०टी० नम्बर प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 8- खच्चरों के स्वामित्व का प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 9- प्रथम भाग तकनीकी निविदा की हस्ताक्षर प्रति (SCHEDULE-A) ।
- 10- शपथ पत्र (SCHEDULE- B) ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

SCHEDULE-B

शपथ पत्र का प्रारूप

मै पुत्र श्री उम्र पता
. एतद् घोषणा करता हूँ कि मैं कुमाऊँ
मण्डल विकास निगम लि० द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम से कैलाश मानसरोवर /आदि
कैलाश यात्रा हेतु यात्रियों का सामान तथा निगम की खाद्य सामग्री एवं उपयोगी
उपकरणों को निर्धारित शिविरों तक ढुलान किये जाने हेतु आमंत्रित निविदा में
प्रतिभाग कर रहा हूँ । यदि मेरी निविदा निगम द्वारा स्वीकृत की जाती है तो निविदा
के शर्तों एवं नियम के बिन्दु सं० 38 पर वर्णित शर्तानुसार मैं घोषणा करता हूँ कि "यह
कि यदि उक्त ढुलान कार्य हेतु मेरी निविदा निगम द्वारा स्वीकृत की जाती है तो उस
दशा में मेरे द्वारा ढुलान के कार्य के अतिरिक्त पोनी एवं पोर्टर के रजिस्ट्रेशन एवं
यात्रियों को पोनी, पोर्टर के आवंटन के कार्यों में मेरे द्वारा किसी भी दशा में
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग नहीं किया जायेगा । यदि मेरे प्रतिभाग/हस्तक्षेप की
सूचना यात्री/निगम कर्मचारी /स्थानीय प्रशासन अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त होती
है तथा जाँच उपरान्त सही पायी जाती है उस दशा में निगम के पास सम्पादित
अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिस पर भविष्य में मेरे द्वारा
निगम पर किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा" ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम:

पता: